रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1986/आश्विन 16, 1908
No. 411] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 8, 1986/ASVINA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 731 (अ)—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 64(अ) तारीख 10 अक्तूबर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) वेस्ट बंगाल फर्मास्युटिकल एण्ड फाईटो कैमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., इलाको हाउस (दूसरी मंजिल) 1 और 2 ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स दा. पाल लारेमेल (इंडिया) लि., कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1978 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 793(अ) तारीख 9 नवम्बर, 1981 सं. का. आ. 312(अ) तारीख 8 मई, 1982, सं. का. आ. 789 (अ) तारीख, 9 नवम्बर, 1982, सं. का. आ. 801(अ) तारीख 10 नवम्बर, 1983, सं० का. आ. 364(अ) तारीख 8 मई, 1984, सं. का. आ. 825(अ) तारीख 9 नवम्बर, 1984, सं. का. आ. 926 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1981 और सं. का. आ. 104(अ) तारीख 8 फरवरी, 1985 और सं. का. आ. 596(अ) तारीख, 8 अगस्त, 1985, सं. का. आ. 730 (अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1985, सं. का. आ. 180 (अ) तारीख 9 अप्रैल, 1986, सं. का. आ. 205 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 1986, सं. का. आ. 247(अ) तारीख 8 मई, 1986, सं. का. आ. 303(अ) दिनांक 26 मई, 1986 और सं. का. आ. 344(अ) दिनांक 6 जून, 1986, सं. का. आ. 368 (अ) दिनांक 19 जून, 1986, सं. का. आ. 410(अ) दिनांक 8 जुलाई, 1986 एवं का० आ. 419 (अ) दिनांक 11 जुलाई, 1986 तथा सं. का. आ. 484(अ) दिनांक 8 अगस्त, 1986, द्वारा उद्योग, विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुज्ञा से उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 8 अक्तूबर, 1986 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, सात वर्ष ग्यारह माह की अवधि के लिए करते रहने के लिए समय समय पर निदेश दिये थे।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि जन साधारण के हित में समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध सात वर्ष ग्यारह माह की समाप्ति की अवधि के पश्चात करता रहे, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उससे ऐसे प्रबन्ध को छः माह की और अवधि के लिए बनाये रखने की प्रार्थना की थी।

और उक्त उच्च न्यायालय के अपने आदेश तारीख 30 सितम्बर, 1986 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छः माह की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दी थी।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश छः माह तक की, जिसमें 8 अप्रैल, 1987 की तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 4 (2) / 80 सी. यू. एस.]

ए. वी. गोकाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th October, 1986

ORDER

S.O. 734(E).—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 641(E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Haco, House, (2nd Floor), 1 and 2, Barboourne Road, Calcuta-700001, (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years commencing on the 10th November, 1978;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 793(E), dated the 9th November, 1981, S.O. 312(E), dated the 8th May, 1982, S.O. 789(E), daed the 9th November, 1982, S.O. 801(E), dated the 10th November, 1983, S.O. 364(E), dated the 8th May, 1984, S.O 825(E), dated the 9th November, 1984, S.O. 926(E), dated the 7th December, 1984, S.O. 104(E) dated the 8th February, 1985, S.O. 596(E), dated the 8th August, 1985, S.O. 730(E) dated the 8th October, 1985, S.O. 180(E), dated the 9th April, 1986, S.O. 205(E), dated 23rd April, 1986, S.O. 247(E), dated the 8th May, 1986, S.O. 303(E), dated 26th May, 1986, SO. 344(E), dated the 6th June, 1986, S.O 368(E) dated 19th June, 1986, S.O. 410(E), dated 8th July, 1986, S.O. 419(E), dated 11th July, 1986 and S.O. 484(E), dated 8th August, 1986 the Central Government with the permission of the High Court at Calcutta under Section 18 FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of seven years and eleven months upto and inclusive of the 8th October, 1986;

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of Seven years and eleven months made an application under the proviso to sub-section (ii) of the Section 18 FA of the said Act to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months;

And, whereas the said High Court, by its order dated 30th September, 1986, permitted the said auhorised person to continue to manage the said Industrial undertaking for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18 FA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 8th April, 1987.

[File No. 4(2)|80-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986